



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 16 जून, 2021

ज्येष्ठ 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 587/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(182)-2021

लखनऊ, 16 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-142

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मालों जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उपशीर्षक, शीर्षक या अध्याय, के अंतर्गत आते हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से उस सीमा तक छूट प्रदान करती हैं जितने से की वह पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक होती हो, अर्थात् :-

सारणी

क्र०सं०	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य

4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%
7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, अर्थात्-आईएल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेटडी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	2.5%
8	380494	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	65069900	हेलमेट्स, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%
11	901819 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेस्ल कैनूला डिवाइस	2.5%
13	901920, 9804	ऑक्सीजन कंसंटेरेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटरस	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%
16	9019	(i) आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्लमास्क, (ii) वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए केनुला	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रवृत्त होगी।
3. यह अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 587 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(182)-2021, dated June 16, 2021 :

No. 587 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(182)-2021

Dated Lucknow, June 16, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the

said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	Medical Grade oxygen	2.5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesivir	2.5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely-IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5%
8	3804 94	Hand Sanitizer	2.5%
9	6506 99 00	Helments for use with non-invasive ventilation	2.5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	2.5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/generator	2.5%
14	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15	9019	BiPAP Machine	2.5%
^16	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU Ventilators (ii) Canula for use with ventilators.	2.5%
17	9025	Temperature check equipment	2.5%
18	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 14th day of June, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 94 राजपत्र-2021-(169)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० राज्य कर-2021-(170)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।